

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन), 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 06 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) एवं 02 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 4,00,000/- (चार लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 7,00,000/- (सात लाख रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/नोबार्ड नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० ताराचन्द्र हाजरा, 57, शिव हाजरा, SC	बेदामिया देवी (पत्नी)	702 05.05.2026	ग्राम+पो०-सिगांसनी, थाना+प्र०-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चम्पारण, 8521933727	444818 210011 623	BOI BKID000 4448	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण में संलग्न अकुशल मजदूर
2	स्व० मनोहर हाजरा, उर्फ मनोहर पासवान, 57, मोती हाजरा, SC	अंतिमा देवी (पत्नी)	704 05.05.2026	ग्राम+पो०-सिगांसनी, थाना+प्र०-रामगढ़वा, जिला-पूर्वी चम्पारण, 8102947350	444818 210011 621	BOI BKID000 4448	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतीहर मजदूर
3	स्व० दिनेश पासवान, 38, सोहन पासवान, SC	रुमन देवी (पत्नी)	721 05.05.2026	ग्राम-चिउटाहॉ, पो०-कुशहर, थाना+प्र०-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण, 9573222840	110224 892558	CANAR A BANK CNRB00 06582	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, (सड़क दुर्घटना, बोलरो गाडी से टक्कर के कारण) राजमिस्त्री का कार्य
4	स्व० नंदू चौधरी, 51, विलास चौधरी, SC	झाला देवी (पत्नी)	723 05.05.2026	ग्राम-शेख चकिया, पो०-बारा चकिया, प्र०-चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण 6299194283	573872 0220	CBI CBIN028 3174	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
5	स्व० मनु राम, 30, शिवलाल राम, SC	मीरा देवी (पत्नी)	797 18.05.2026	ग्राम+पो०-भरगावौ, थाना+प्र०-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण 8651154537	251300 170037 6339	PNB PUNB02 51300	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, (सड़क दुर्घटना, गैस टंकर से कुचलने के कारण) भवन निर्माण में संलग्न अकुशल मजदूर
6	स्व० सुदामा पासवान, 55, रामस्वरूप पासवान, SC	रूपकली देवी (पत्नी)	791 18.05.2026	ग्राम+पो०-मच्छरगाँवा, थाना+प्र०-कोटवा, जिला-पूर्वी चम्पारण 6202859244	169500 170030 1339	PNB PUNB01 69500	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतीहर मजदूर
7	स्व० सोहन पासवान, 39, स्व० धुरन पासवान, SC	राजकुमारी देवी (पत्नी)	801 18.05.2026	ग्राम+पो०-पजियरवा, थाना+प्र०-सुगौली, जिला-पूर्वी चम्पारण 9296774705	444818 210011 734	BOI BKID000 4448	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतीहर मजदूर

8	स्व० लालजी राम, 57, स्व० फकीर राम, SC	रामवती देवी (पत्नी)	803 18.05.2026	ग्राम+पो0-रामपुरवां, गोविन्दगंज, प्र०-अरराज, जिला-पूर्वी चम्पारण 7541947535	551481 000329 53	BOB BARB0A RERAX	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वामाविक मृत्यु कृषक मजदूर
---	---	------------------------	-------------------	---	------------------------	------------------------	--	-----------------------------------

कुल राशि :-रु० 7,00,000/-

(सात लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGSके माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-34/2026(अंश)-829 पटना, दिनांक :- 18/05/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGSके माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 7,00,000/- (सात लाख रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण/उप श्रमायुक्त, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

8.

08/07/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक